



Neutral Citation No. - 2026:AHC:89667

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 5035 वर्ष 2026

सोहन

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी

आवेदक की ओर से अधिवक्ता	:	सुरेश धर द्विवेदी
प्रतिपक्षी की ओर से अधिवक्ता	:	जी.ए.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक शपथपत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेश धर द्विवेदी तथा राज्य-प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री कुंवर तेजेन्द्र बहादुर को सुना गया।
3. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 632 वर्ष 2025, धारा 80(2), 85 बी.एन.एस. तथा धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत, थाना पुवायां, जनपद शाहजहांपुर में विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि यद्यपि आवेदक मृतका का पति है, तथापि दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ना के मिथ्या आरोप के आधार पर उसे वर्तमान प्रकरण में अभियुक्त बनाया गया है।

5. आगे यह निवेदन किया गया कि आवेदक एवं मृतका के वैवाहिक संबंध से एक संतान उत्पन्न हुई थी, किन्तु प्रसव के उपरांत मृतका को पेट में अत्यधिक दर्द की समस्या रहने लगी तथा उपचार के बावजूद वह स्वस्थ नहीं हो सकी। उक्त कारणवश वह अवसाद एवं मानसिक तनाव में रहने लगी और इसी कारण उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह भी निवेदन किया गया कि पोस्टमार्टम आख्या से भी यह परिलक्षित होता है कि मृतका की मृत्यु फांसी लगने के कारण हुई।

6. आगे यह भी निवेदन किया गया कि विचारण के दौरान वाद के प्रथम सूचनाकर्ता ने अभियोजन कथन का समर्थन नहीं किया तथा उसे प्रतिकूल साक्षी घोषित किया गया। उसके बयान, जो अनुपूरक शपथपत्र के साथ संलग्न है, से भी यह परिलक्षित होता है कि मृतका ने पेट की समस्या के कारण आत्महत्या की थी।

7. आगे यह भी निवेदन किया गया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वर्तमान प्रकरण में वह दिनांक 27.08.2025 से कारागार में निरुद्ध है।

8. इसके विपरीत, राज्य-प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत प्रार्थना का विरोध किया, किन्तु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

9. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेख का अवलोकन करने के उपरांत यह न्यायालय पाता है कि यद्यपि आवेदक मृतका का पति है तथा उसकी पत्नी की मृत्यु विवाह के

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



पांच वर्ष के भीतर उसके वैवाहिक गृह में असामान्य परिस्थितियों में हुई है और दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ना का आरोप भी लगाया गया है, तथापि यह परिलक्षित होता है कि विचारण के दौरान वाद के प्रथम सूचनाकर्ता अर्थात् मृतका के पिता ने अभियोजन कथन का समर्थन नहीं किया तथा उन्हें प्रतिकूल साक्षी घोषित किया गया। पोस्टमार्टम आख्या से भी यह परिलक्षित होता है कि मृतका की मृत्यु फांसी लगाने से हुई है, अतः इस स्तर पर आत्महत्या की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

10. आगे यह भी परिलक्षित होता है कि प्रथम सूचनाकर्ता अर्थात् मृतका के पिता ने विचारण के दौरान अपने बयान में कहा कि मृतका पेट के अत्यधिक दर्द से पीड़ित थी और इसी कारण उसने आत्महत्या की। अतः विचारण न्यायालय के समक्ष दर्ज प्रथम सूचनाकर्ता का बयान भी प्रतिरक्षा कथन का समर्थन करता है।

11. आगे यह भी परिलक्षित होता है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वर्तमान प्रकरण में वह दिनांक 27.08.2025 से कारागार में निरुद्ध है।

12. आगे विधि का यह स्थापित सिद्धांत है कि जब तक अभियुक्त दोषसिद्ध न हो जाए, तब तक उसे निर्दोष माना जाता है तथा जमानत प्रार्थना पत्र को दंडात्मक अथवा निवारक उद्देश्य से निरस्त नहीं किया जाना चाहिए।

13. अतः उपर्युक्त विवेचित तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, इस न्यायालय के मत में आवेदक जमानत पर मुक्त किए जाने का अधिकारी है।

14. तदनुसार, वाद के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत किया जाता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



15. आदेशित किया जाता है कि आवेदक **सोहन** को उपर्युक्त वाद में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर समान धनराशि के निजी बंधपत्र एवं दो जमानतदार प्रस्तुत किए जाने पर निम्नलिखित शर्तों सहित जमानत पर मुक्त किया जाए :-

(i) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न प्रदान की जाए।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को, जो वाद के तथ्यों से परिचित हो, कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा जिससे वह न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्य प्रकट करने से विरत हो जाए अथवा साक्ष्य से छेड़छाड़ की जाए।

(iii) आवेदक किसी आपराधिक अथवा समाज-विरोधी गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

16. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन को यह स्वतंत्रता होगी कि वह आवेदक की जमानत निरस्त किए जाने हेतु इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे।

17. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां केवल जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक सीमित हैं तथा उनका विचारण के दौरान वाद के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

22 अप्रैल, 2026

ए.के. पाण्डेय

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”